भाग III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

प्रकरण क्रमांक FP/MP/MINE/144129/2021

<table>
<tr><td>1</td><td>स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें</td><td>जी हॉ। दिनांक 18.02.2023 को स्थल निरीक्षण किया गया है। विस्तृत विवरण स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।</td><td>सहमत है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।</td><td>बंधा कोल ब्लाक परियोजना द्वारा सिंगरौली जिले के वन मण्डल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र बैढ़न एवं पूर्व सरई में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि में कोयला उत्खनन का कार्य किया जाना है। ओपेन कास्ट कोयला उत्खनन परियोजना में वन मण्डल सिंगरौली की निम्नानुसार वनभूमि प्रभावित हो रही है।
<table>
<tr><th>जिला</th><th>वन मण्डल</th><th>परिक्षेत्र</th><th>कक्ष क्रमांक</th><th>रकबा हे. में</th></tr>
<tr><td>सिगरौली</td><td>सिंगरौली</td><td>बैढ़न</td><td>आर–389</td><td>42.78</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>आर–390</td><td>0.24</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>पीएफ–317</td><td>65.61</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>पूर्व सरई</td><td>आर–291</td><td>211.42</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>आर–292</td><td>280.47</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>आर–293</td><td>54.72</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>आर–391</td><td>68.07</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>आर–392</td><td>26.60</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>आर–296</td><td>0.10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>आर–319</td><td>0.67</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>आर–320</td><td>0.99</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>पी–316</td><td>30.28</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>योग</td><td>781.94</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>राजस्व वन भूमि</td><td>3.55</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>कुल योग</td><td>785.490</td></tr>
</table>
1. वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि कक्ष कमांक आर.एफ. 291, 292, 293, 391 इस मण्डल के प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार हाथी कोरीडोर मे संम्मिलित है।</td></tr>
</table>

		2. वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली के प्रतिवेदन अनुसार वन मण्डल अन्तर्गत पिछले 10 वर्षों में हाथियों की आवागमन कक्ष क्र0 आर.एफ. 291, 292, 293, एवं 391 में नहीं पाया गया। 3. वन मण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कॉरीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:– (अ) 2.47 (9)–कॉरीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कॉरीडोर की निरन्तरता में व्यवधान उत्पन्न हेाता हो जैसे स्थाई भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेवर कैम्प की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नही किये जावेंगे। (ब) 2.47 (10)–कॉरीडोर में स्थित कक्षों को यथासंभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तानांतरित नही किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यंभावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कॉरीडोर की स्थापना की जाये। 4. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुएं वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा अनुशंसा की गई है। 5. वन्यप्राणी प्रबंधन प्लान का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा अनुशंसा की गई है। 6. कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1–18) का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा अनुशंसा की गई है। अतः उक्त शर्तो का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर 781.94 हे वन भूमि, 3.55 हे. राजस्व वन भूमि कुल 785.490 हे. वन भूमि EMIL Mines and Miniral Resources Limited को कोयला उत्खनन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 23-02-2023

स्थानः रीवा

(राजेश कुमार राय)
भा.व.से.
वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा म.प्र.